कार्यालय उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी-चित्रकूट

पत्रांक : 05 / 33–1 / दिनांक, चित्रकूट, जुलाई, 01 ,2025

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड,
डाला, सोनभद्र, उ0प्र0।

विषय : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में रकबा 344.688हे0 आरक्षित वन भूमि में खनन की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील–मानिकपुर के ग्राम–कुसमी में उपलब्ध करायी जा रही 40.254हे0 गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक–UTCL/DLCW/FC/25/2025, दिनांक 20.06.2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विषयगत प्रकरण में जनपद–चित्रकूट के ग्राम–कुसमी, तहसील–मानिकपुर में 40.254हे0 गैर वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर उपयुक्तता की जाँच कर आख्या देने का अनुरोध किया गया था।

अतः उक्त के क्रम में उपरोक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी–1 रेंज एवं अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड डाला, सोनभद्र, उ0प्र0 के प्रतिनिधि के साथ किया गया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी–1 रेंज ने अपने पत्रांक–136/33–1, दिनांक 25.06.2025 द्वारा जाँच आख्या प्रेषित की गयी, जो निम्नवत् है :–

"विषयगत प्रकरण में ग्राम–कुसमी के खसरा नं0 117 से 132 में उल्लिखित 40.254हे0 गैर वन भूमि आवेदक से प्राप्त अक्षांश, देशान्तर के अनुसार एक कम्पैक्ट एरिया में उपलब्ध करायी जाये तो यह गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।"

अतः क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी–1 रेंज की जाँच आख्या एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी–चित्रकूट का पत्रांक–431/33–1, दिनांक 30.06.2025 की संस्तुति के आधार पर उपरोक्तानुसार चयनित स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

(प्रत्युष कुमार कटियार)
उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

संख्या : अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. फील्ड डायरेक्टर, रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी–चित्रकूट।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी–1 रेंज।

(प्रत्युष कुमार कटियार)
उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

E:\Ramraj\Van_Bandobast\DFO\1330

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works
Authorised Signatory